


143

न्यायालय श्री मानू राजस्व मंडल शीवासम
शीवा(अ.प्र.)

न्यायालय श्रीमानू कवेकर (महोदय) निवासी गाम कौदिया तहसील गोवठ

श्री उमरा दिवी एफ
कापडा / 28-9-15

R. 5082-दा115



432
28-9-15

बालमुकुन्द सोनी पिता दामोदर दास सोनी उम्र 53 वर्ष
2. श्रीमती पंचवती सोनी पत्नी बालमुकुन्द सोनी उम्र 43 वर्ष
दोनों निवासी गाम कौदिया उत्तर थाना सीधी तहसील गोवठ
निगराकनी कर्ता / आवेदक

वनाम

राजनारायण तनय जगत प्रकाश सिंह चौहान निवासी गाम अमरवाह
तहसील गोपदवनास - व्यवस्थाक गजराज स्मृति विद्यालय कौदिया उमसी
तहसील गोपदवनास --- अना/उत्तरवा

निगरानी = विरुद्ध आदेश आदेश तहसीलद्वारा मही
गोपदवनास के राजस्व पत्र करण क्र 079क-62014/
के अंतरिम आदेश दिनांक 10.9.15 को अस्तित्व में
जाने हेतु निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मधु 0 म
=== रा 0 सं 0 1959.

मान्यवर

निगरानी के सूत्र तय इस प्रकार हैं ।

1. यह कि गाम कौदिया उत्तर टोला तहसील गोवठ की आराजीनं 0
1151 म 11/0.001 हे 1151 म 34/0.012 हे किता 2 योगरक्का
0.013 हे के नामान्तरणवाक्य आवेक अना उत्तरवादी द्वारा अधिम
न्यायालय तहसील गोपदवनास के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जि
आवेदक गण निगरानी कर्ता गण हितबद्ध पक्षकार थे जबकि आवेदक केदार
अधिम न्यायालय के समक्ष पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया


M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र० R.5082-II/15

जिला-सीधी

बालमुकुन्द सोनी/राजनारायण सिंह

(1)	(2)	(3)
16.05.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूँकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	